सिफारिशों का सार

विशेष प्रावधानों मे अस्पष्टता/कमी सहित प्रणालीगत मामले

(क) सीबीडीटी अंकित लाभ संगणना में निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई को स्पष्ट करते हुए धारा 115जेबी की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण (1) के तहत समर्थकारी प्रावधान सम्मिलित करे,

(i) सरकार आदि से प्राप्त अग्रिमों में से किए गए आईसीडी और सावधि जमा पर प्रोदभूत ब्याज जो सामान्य प्रावधानों के तहत कराधान के लिए ली गई थी;

(ii) प्रत्यक्ष रूप से तुलन-पत्र में ले जाए गए सहायता अनुदान आदि जैसे लाभ और हानि के माध्यम से नहीं ले जाया गया;

(iii) समामेलित कंपनी के दीर्घकालीन निवेश की बिक्री पर लाभ/हानि

(iv) अवनिर्धारित देयता के साथ-साथ रिजर्व के संघटक सहित इसकी जटिलता को ध्यान में रखते हुए डिबेंचर रिडेम्प्शन रिजर्व/लोन रिडेम्प्शन रिजर्व;

(v) मूल्यह्रास की पद्धति मे परिवर्तन के कारण अधिक/कम मूल्यह्रास

(पैरा 2.4.1 से 2.43, 2.5 और 2.6)

(ख) सीबीडीटी अंकित लाभ की संगणना में अग्रेनीत व्यवसाय हानि/अनावशोषित मूल्यह्रास के संमजन के तरीके को स्पष्ट करे।

(पैरा 2.7.1 से 2.7.3)

(ग) सीबीडीटी अंकित लाभ की संगणना में लेखा बहियों मे वास्तव मे बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों को कम करने के लिए एक समायोजन निर्धारित करे क्योंकि इसे सामान्य प्रावधानो के तहत कमी के लिए माना जाता है।

(पैरा 2.8.1)

(घ) सीबीडीटी अंकित लाभ की संगणना में निम्न मदों को जोड़ने के लिए एक समायोजन निर्धारित करे जो कि सामान्य प्रावधान के तहत संयोजन के लिए लिए गये थे;

(i) फर्जी खरीद/अप्रकट आय/अलेखांकित आय

(ii) लाभ और हानि लेखा पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालने वाली मदों पर अतंरण मूल्य निर्धारण समायोजन

(iii) आय की विवरणी फाइल करने की देय तिथि के अन्तर्गत भुगतान नहीं की गई सांविधिक देयताएं

(iv) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर व्यय।

(पैरा 2.8.2 से 2.8.5)

(ङ) सीबीडीटी सामामेलन के बाद समामेलित कंपनी द्वारा अपने व्यवसाय समाप्ति पर समामेलित कंपनी के मैट क्रेडिट की अननुमति के लिए अधिनियम में एक प्रावधान लागू करे। **(पैरा 2.8.6)**

सीबीडीटी एग्जिट कान्फ्रेन्स के दौरान उपरोक्त सभी मुद्दो की जांच के लिए सहमत हो गया और कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो एक परिपत्र/स्पष्टीकरण जारी करने की व्यवहार्यता का पता लगाया जायेगा।

मैट प्रावधानों के अननुपालन की सीमा

सीबीडीटी कंपनी अधिनियम के साथ साथ फॉर्म 29बी/कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/ आईटीआर 6 के अनुसार कारबार हानि और अनावशोषित मूल्यह्रास के विवरणों का वर्ष वार अलग-अलग ब्यौरा दर्शाने वाला एक अनुबंध और एक परिशिष्ट संलग्न करे ताकि निर्धारण के समय उनकी अद्यतन स्थिति पर विचार किया जा सके। **(पैरा 3.5)**

सीबीडीटी ने एग्जिट कान्फ्रेन्स के दौरान कहा कि एक पृथक अनुबंध/अनुसूची बनाना कठिन हो सकता है परन्तु वह निर्धारण सूचना प्रणाली (एएसटी) पर ध्यान देने के लिए सहमत था जहां कंपनी अधिनियम के अनुसार अग्रेनीत हानि और अनावशोषित मूल्यह्रास के विवरण भी दृश्यमान होगें।

शून्य कर कंपनियों को कर आधार में लाना

(क) आईटीडी जवाबदेही के लिए एक रूपरेखा तैयार करे जहां एओ कॉर्पोरेट और गैर-कॉर्पोरेट नॉन-फाइलरों, दोनों की पृथक पहचान करने के लिए नॉन-फाइलर्स मानीटरिंग सिस्टम के प्रभावपूर्ण प्रयोग के लिए जवाबदेह हो सकते है ताकि नॉन-फाइलरों को कर दायरे में लाने के लिए प्रभावपूर्ण रूप से कार्रवाई की जा सके। **(पैरा 4.2.1)**

सीबीडीटी, एग्जिट कॉन्फ्रेन्स के दौरान इस संबंध में एक उपयुक्त रूपरेखा बनाने के लिए सहमत हो गया। **(पैरा 4.2.1)**

सीबीडीटी, एग्जिट कॉन्फ्रेन्स के दौरान इस विषय पर ध्यान देने के लिए सहमत हो गया।

(ख) जहां आईटीआर नहीं भरे गये उनको कर दायरे में लाने के लिए आईटीडी उन मामलों पर कार्रवाई करे। **(पैरा 4.2.1)**

एग्ज़िट कान्फ्रेंस के दौरान सीबीडीटी इस मामले को जांच करने के लिए सहमत थे।